सरल कानूनी ज्ञान माला – 35

मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड

फोन : फैक्स 05942–236552, टोल फ्री नं० 1800 180 4072

ई–मेल : uaslsa_02@yahoo.co.in, ukslsanainital@gmail.com

लोक अदालतें क्या हैं ?

- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे अपराधिक मामलों को छोड़कर जिनमें समझौता गैर–कानूनी है, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- सभी जिलों में स्थायी लोक अदालतों की स्थापना की जा रही है और व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायें ?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचारधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकद्में ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकद्में के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थाई लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।

मध्यस्थता क्या है ?

मध्यस्थता एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, जिसमें एक निष्पक्ष व तटस्थ मध्यस्थ विवादित पक्ष को समझौते तक पहुंचाने में सुसाध्य बनाता है। मध्यस्थ समाधान हेतु बाध्य नही करता, बल्कि एक सहायक वातावरण का निर्माण करता है, जिसमें पक्षकार अपने समस्त विवादों की समस्या का समाधान कर सकते हैं।

मध्यस्थता विवाद समाधान हेतु एक प्रयास तथा परीक्षित वैकल्पिक पद्धति है। दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई तथा इलाहाबाद में इसकी महान सफलता प्रमाणित हो चुकी है। मध्यस्थता प्रक्रिया में भागीदारी करने वाले वादीगण सिर्फ एक अर्थ में इसका समर्थन करते हैं।

मध्यस्थता है :

- एक संरचनात्मक प्रक्रिया, जिसमें एक मध्यस्थ विशेष संचरण तथा वार्ता तकनीकी का प्रयोग करता है।
- सुसाध्य पक्ष के विवाद में समाधान की एक प्रक्रिया।
- एक सुसाध्य प्रक्रिया जिससे पक्षकार एक आपसी स्वीकार्य अनुबंध तक पहुंचते हैं।

मध्यस्थता बनाम विरोधी मुकदमेबाजी

- मध्यस्थता में समय की हानि नहीं।
- मध्यस्थता में वित्तीय निवेश की आवश्यकता नहीं।
- मध्यस्थता निरंतर कामकाज व वैयक्तिक रिश्तों को संरक्षित करता है।
- मध्यस्थता विवादित पक्षों को लचीलापन, संयम और सहभागिता की अनुमति देता है।
- निर्णित मध्यस्थता के खिलाफ अपील व रिवीजन मान्य नहीं हैं।

मध्यस्थता कौन कर सकता है ?

कोई भी व्यक्ति जोकि सर्वोच्च न्यायालय की मिडिएशन एवम् कन्सीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी द्वारा निर्धारित 40 घण्टे का अपेक्षित प्रशिक्षण रखता हो, मध्यस्थ हो सकता है।

मध्यस्थ को कम से कम दस वास्तविक मध्यस्थता करने की भी आवश्यकता है तभी वह एक योग्य मध्यस्थ के रुप में स्वीकार किया जा सकता है।

मध्यस्थता कैसे भिन्न है ?

- मध्यस्थता एक अनौपचारिक प्रक्रिया है।
- इसमे कोई सख्त एवम् बाधित नियम कानून नहीं है।
- मध्यस्थता पूर्णतः एक गोपनीय प्रक्रिया है।

- मध्यस्थता विवादित पक्षों को एकाएक आधार पर आपसी मेल–जोल के योग्य बनाती हैं।
- मध्यस्थता पूर्णतः एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है।
- मध्यस्थता विवादित पक्षों को विवाद समाधान प्रक्रिया में अहम भूमिका प्रदान करने के योग्य बनाती हैं।
- यह विवाद समाधान का एक निःशुल्क, सस्ता एवम् त्वरित तरीका है।
- मध्यस्थता अधिकार आधारित के बजाय रुचिकर आधारित है। इसमें पक्षकार स्वयं अपने विवादों को सुलझाने के लिए रास्ते खोजते हैं।
- मध्यस्थता के माध्यम से तय हुए मामलों में कोर्ट फीस वापिस की जाती है।
- मध्यस्थता एक निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा किया जाता है।
- मध्यस्थता प्रक्रिया किसी भी स्तर पर अपनायी जा सकती है।
- मध्यस्थता पक्षों के बीच विवाद को समाधित कर अनुबंध शर्तों के अनुरुप राजीनामे योग्य बनाता है।

मध्यस्थता सत्र में क्या घटित होता है ?

- **प्रस्तावना** : मध्यस्थ स्वंय को पक्षों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, मध्यस्थता प्रक्रिया की व्याख्या करता है तथा अपनी निष्पक्षता को स्थापित करता है। वह सम्बन्धित नियमों की व्याख्या करता है तथा विवाद के समाधान की गोपनीय प्रक्रिया आरम्भ करता है।
- **संयुक्त सत्र** : मध्यस्थ तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवम् पक्षकारों की रुचि के बारे में सूचना एकत्रित करता है, पक्षों के बीच आपसी मेल–जोल स्थापित करता है तथा आपसी समझौते हेतु एक उचित वातावरण का निर्माण करता है।
- **व्यक्तिगत (पृथक) सत्र** : आवश्यकता होने पर एक मध्यस्थ विवादित पक्षों को अपनी शिकायतों के और आगे व्याख्यान की अनुमति प्रदान करता है, सूचना एकत्रित करना जारी रखता है, व्यक्तिगत पक्षकारों को अपनी गोपनीय सूचनाऐं साझा करने हेतु राजी करता है तथा आपसी समझौते के विकल्प प्रदान कर, उनकी मदद करता है।
- **अनुबंध** : मध्यस्थ समाधान की शर्तों की पुष्टि एवम् उनको स्पष्ट करता है तथा समझौते को एक स्पष्ट, पूर्ण, संक्षिप्त तथा बाधित अनुबंध में रुपातंरित करता है।

मध्यस्थता के क्या लाभ हैं ?

मध्यस्थता है :

- त्वरित एवं प्रतिक्रियात्मक
- किफायती; इसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है।
- रुचिकर समझौता

- समाधान एवं उपाय प्रदान करती है।
- गोपनीय एवं अनौपचारिक
- पक्षकारों द्वारा व्यवस्थित कानूनी प्रक्रिया
- कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा–16 के अन्तर्गत पूर्ण न्यायालय शुल्क की वापसी।

यदि आप अपने मामले का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो आप न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं तथा मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवाद को पूर्ण रुप से निस्तारित करवा सकते हैं।

अधिक जानकारी हेतु अपने निकटतम तहसील विधिक सेवा समिति, जोकि तहसील न्यायालय अथवा तहसील परिसर में स्थित होता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोकि प्रत्येक जिला न्यायालय परिसर में स्थित है, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोकि मा० उच्च न्यायालय परिसर में स्थित है अथवा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोकि मा० उच्च न्यायालय परिसर में स्थित है, के कार्यालय से सम्पर्क करें।

''वार्ता से सफलता''

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल
दूरभाष : 05942–236762, टेलीफैक्स : 05942–236552
ई–मेल : ukslsanainital@gmail.com

''मध्यस्थता अपनाऐं, विवाद सुलझाऐं।''

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना – पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति / उपसमिति / जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील – जनपद–

मैं ..... पुत्र / पुत्री / पत्नी / विधवा .....

निवासी ..... विधिक सहायता / परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता / करती हूँ –

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000 / – (एक लाख रुपया) तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ / आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :–
   - (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   - (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   - (ग) स्त्री या बालक
   - (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   - (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   - (च) औद्योगिक कर्मकार
   - (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   - (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :–
   - (1) वाद दायर करने / प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   - (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   - (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी / व्यय होने वाली धनराशि
   - (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   - (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ / दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण / उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा / करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा / छुपाऊँगी।

प्रार्थी / प्रार्थिनी

पता –

नाम –

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित सरल कानूनी ज्ञान माला पुस्तकें

1.	सरल कानूनी ज्ञान माला–1	उत्तराखण्ड राज्य में लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम
2.	सरल कानूनी ज्ञान माला–2	पशुओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये महत्वपूर्ण नियमों का संक्षिप्त विवरण
3.	सरल कानूनी ज्ञान माला–3	वन संबंधी कानून की संक्षिप्त जानकारी
4.	सरल कानूनी ज्ञान माला–4	उपभोक्ताओं के लिए बनाए गए कानून का संक्षिप्त विवरण
5.	सरल कानूनी ज्ञान माला–5	सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों एव उनके परिवार के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।
6.	सरल कानूनी ज्ञान माला–6	महिलाओं के महत्वपूर्ण विधिक अधिकार
7.	सरल कानूनी ज्ञान माला–7	वैश्यावृत्ति से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कानून
8.	सरल कानूनी ज्ञान माला–8	भ्रष्टाचार निवारण विधि
9.	सरल कानूनी ज्ञान माला–9	मध्यस्थम एवं सुलह विधि
10.	सरल कानूनी ज्ञान माला–10	मोटर दुर्घटना प्रतिकर विधि
11.	सरल कानूनी ज्ञान माला–11	मोटर वाहन दुर्घटना रोकने सम्बन्धी विधि एवं दण्ड के महत्वपूर्ण प्राविधान
12.	सरल कानूनी ज्ञान माला–12	भरण–पोषण प्राप्त करने की विधि
13.	सरल कानूनी ज्ञान माला–13	उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की विधि
14.	सरल कानूनी ज्ञान माला–14	झगड़ों को रोकने सम्बन्धी विधि
15.	सरल कानूनी ज्ञान माला–15	किशोर अपराध सम्बन्धी नई विधि एवं बालक श्रम निषेध विधि
16.	सरल कानूनी ज्ञान माला–16	मानवाधिकार एवं विकलागों के अधिकारों सम्बन्धी विधि
17.	सरल कानूनी ज्ञान माला–17	बालकों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बालश्रम निवारण में हमारा कर्त्तव्य
18.	सरल कानूनी ज्ञान माला–18	नशीले पदार्थों सम्बन्धी दाण्डिक विधि
19.	सरल कानूनी ज्ञान माला–19	उत्तराखण्ड राज्य में खेती जमीन का सरल कानूनी ज्ञान
20.	सरल कानूनी ज्ञान माला–20	मजदूरों के कानूनी अधिकार
21.	सरल कानूनी ज्ञान माला–21	प्रथम सूचना रिपोर्ट/गिरफ्तारी व जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार व कर्त्तव्य
22.	सरल कानूनी ज्ञान माला–22	दीवानी वादों से सम्बन्धित न्यायालय की प्रक्रिया
23.	सरल कानूनी ज्ञान माला–23	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
24.	सरल कानूनी ज्ञान माला–24	हिन्दू विवाह एवं सम्पत्ति का अधिकार
25.	सरल कानूनी ज्ञान माला–25	बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
26.	सरल कानूनी ज्ञान माला–26	उपभोक्ता संरक्षण कानून
27.	सरल कानूनी ज्ञान माला–27	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
28.	सरल कानूनी ज्ञान माला–28	घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
29.	सरल कानूनी ज्ञान माला–29	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
30.	सरल कानूनी ज्ञान माला–30	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों से सम्बन्धित कानून
31.	सरल कानूनी ज्ञान माला–31	तलाक (हिन्दू विवाह अधिनियम)
32.	सरल कानूनी ज्ञान माला–32	दहेज
33.	सरल कानूनी ज्ञान माला–33	बंदियों के कानूनी अधिकार एवं कानूनी ज्ञान
34.	सरल कानूनी ज्ञान माला–34	राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून
35.	सरल कानूनी ज्ञान माला–35	मध्यस्थता सम्बन्धी पुस्तक
36.	सरल कानूनी ज्ञान माला–36	श्रम कानून
37.	सरल कानूनी ज्ञान माला–37	उत्तराखण्ड की कहानियां (कानूनी ज्ञान सम्बन्धी)
38.	सरल कानूनी ज्ञान माला–38	सरकारी सेवा सम्बन्धी पुस्तक
39.	सरल कानूनी ज्ञान माला–39	वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी अधिनियम
40.	सरल कानूनी ज्ञान माला–40	एड्स को जानें
41.	सरल कानूनी ज्ञान माला–41	मानसिक स्वास्थय अधिनियम, 1987 एवं विकलांगों के कानून एवं अधिकार
42.	सरल कानूनी ज्ञान माला–42	शिक्षा का अधिकार– निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा
43.	सरल कानूनी ज्ञान माला–43	समाज कल्याण सम्बन्धी सरकारी योजनाएं
44.	सरल कानूनी ज्ञान माला–44	कानून की जानकारी आखिर क्यों?

विधिक सेवाएं क्या हैं ?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल्स के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराए जाते हैं।
- मुकद्मों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिए जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकद्मों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है ?

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी नागरिक,
2. संविधान के अनुच्छेद–23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति,
3. सभी महिला एवं बच्चे,
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति,
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति,
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर,
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरूद्ध सभी व्यक्ति,
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख या एक लाख रूपये से कम है,
9. भूतपूर्व सैनिक,
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति,
11. वरिष्ठ नागरिक।

नोटः– क्रम संख्या 1 से 7, 9, 10 एवं 11 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए लिखें या मिलें :–

सभी जिलो में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

कँवर अमनिन्दर सिंह
एच.जे.एस.
सदस्य सचिव

न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पन्त
कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल

Designed & Printed by : **Mittal Enterprises**, Delhi. # Mob: 09811340726